

सत्यनाथजी का कर्षण क्षेत्र

13/5/25

पञ्जाब की प्रशासकीय कमीशन उच्च पक्ष अर्थात्
वाले आदेश दिनांक 20/5/25 को प्रेषित

सहायक अधिकारी
सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)

20/5/25

पञ्जाब की प्रशासकीय कमीशन उच्च पक्ष
अर्थात् पञ्जाब की राजस्व रिकार्ड का अवलोकन
किए व कमीशन उच्च पक्ष की कक्षा का भवन
कले पर एक शत निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कादीपण
दादा पुराने खसरा नम्बरान का प्रस्तुत किया
है कमीशन कादी ने पुराने खसरा नम्बरान
से हाल खसरा नम्बरान से सम्बन्धित दस्तावेज
मिळाने की कोशिश क हाल जमाबन्दी प्रस्तुत की
की गई। योंकि कादी का दादा पुराने खसरा
नम्बरान से प्रस्तुत किया पुराने खसरा नम्बा
वर्तमान में प्रचलित नहीं होने से कादीपण
दादा स्वीकृत नहीं हो पाये अतः कादीपण का
दादा स्वीकृत किया जागाही पञ्जाब की नम्बा
से पाठ होकर दादा कमीशन द्वारा कक्षा
है। (पुणः)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)